राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों की आनलाइन स्थानान्तरण आवेदन प्रणाली

(i) आनलाइन स्थानान्तरण हेतु आवेदकों के लिए आवश्यक निर्देश :–

1– केवल वही राजकीय शिक्षक/शिक्षिका ऑनलाइन आवेदन करने हेतु पात्र होंगे, जो स्वयं की इच्छा पर /निजी व्यय पर स्थानान्तरण चाहते हैं। आवेदक जिस विषय, संवर्ग तथा पद का है वह उसी विषय, संवर्ग तथा पद के लिए आवेदन कर सकता है।

2– आवेदक राजाज्ञा संख्या –319/15–2 –2018 दिनांक 18 अप्रैल, 2018 का भली–भॉति अध्ययन कर अपना आवेदन पत्र स्वयं भरें। आनलाइन आवेदन पत्र के लिए पासवर्ड स्वयं सृजित करें। आवेदन पत्र पूर्ण करके प्रिन्ट आउट निकालकर स्वयं समस्त प्रविष्टियों की भली भांति जांच कर लें तथा यदि कोई त्रुटि है तो उसे सुधार करने के उपरान्त ही आवेदन पत्र को आनलाइन फाइनल सबमिट करें । यदि उनका आवेदन त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण/असत्य होगा तो उसे निरस्त कर दिया जाएगा, जिसका उत्तरदायी स्वयं आवेदक होगा।

3– अभ्यर्थी सर्वप्रथम वेबसाइट upsecgtt.upsdc.gov.in क्लिक करेगा जिससे वेबसाइट खुलेगी।

4–उक्त वेबसाइट खुलने पर माध्यमिक शिक्षा आनलाइन स्थानान्तरण प्रणाली– 2018 प्रदर्शित होगी।

5–आवेदक द्वारा उक्त पेज खोलने के पश्चात्, आवेदन पत्र भरने की प्रकिया को दो चरणों में पूर्ण करेगा।

6– आवेदक प्रथम चरण में रजिस्ट्रेषन करेगा तथा द्वितीय चरण में आवेदक को आनलाइन फार्म सबमिट करना होगा।

7– आवेदक रजिस्ट्रेषन हेतु कार्यरत जनपद, कार्यरत विद्यालय का नाम, पदनाम, कार्यरत विषय का चयन करेगा तथा अपना नाम एवं मोबाइल नंबर अंकित करके सबमिट करेगा। सबमिट करने उपरान्त आवेदक का रजिस्ट्रेषन तथा ओ0टी0पी0 उसके द्वारा भरे गये मोबाइल नंबर पर प्राप्त होगा। यही उसका पहला पासवर्ड होगा।

8– आवेदक मोबाइल पर प्राप्त ओ0टी0पी0 को सुरक्षित रखेगा।

9– आवेदक प्राप्त रजिस्ट्रेशन नंबर एवं पासवर्ड से आवेदन हेतु लागिन करेगा।

10– प्रथम बार आवेदन हेतु लागिन करने के पश्चात पासवर्ड सेट करने हेतु एक पेज खुलेगा, जिसमें आवेदक को अपना पासवर्ड सेट करना अनिवार्य होगा। इसी पासवर्ड का प्रयोग आगे की प्रक्रिया में होगा।

11– उपरोक्त क्रमांक–7 से 10 तक की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात्, द्वितीय चरण प्रारम्भ होगा ।

12– द्वितीय चरण में आवेदक को स्थानान्तरण हेतु आवेदन के लिए लागिन करना होगा। लागिन के समय रजिस्ट्रेशन नम्बर तथा अपना नवीन सेट किया गया पासवर्ड अंकित करना होगा।

13–द्वितीय चरण में आवेदक के हेतु आवेदन पत्र में पूर्ण की जाने वाली सम्पूर्ण प्रविष्टियां प्रदर्शित होंगी, जिसे आवेदक को स्वयं पूर्ण किया जाना होगा।

14–सहायक अध्यापक पद के गणित/विज्ञान विषय के शिक्षक स्थानान्तरण हेतु गणित अथवा विज्ञान विषय में से किसी भी एक विषय का विकल्प दे सकते हैं।

15– आवेदन पत्र के क्रमांक–15 में प्रदर्शित मानक विन्दुओं में अभ्यर्थी को विकल्प चुनना है जो एक से अधिक भी हो सकते हैं। आवेदक द्वारा चुने गये प्रत्येक मानक के लिए वांछित अभिलेखों की स्वः प्रमाणित छायाप्रति संस्था प्रधान के माध्यम से जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रस्तुत करना होगा।

16– अधिक गुणांक प्राप्त आवेदक को स्थानान्तरण हेतु इच्छित विद्यालय में तैनाती दिये जाने में वरीयता दी जायेगी।

17– एक से अधिक आवदेकों का गुणांक समान होने पर अधिकतम आयु वाले को वरीयता दी जायेगी यदि आयु समान है तो अपने संवर्ग में वरिष्ठ शिक्षक को वरीयता दी जायेगी ।

18– आवेदन पत्र के क्रमांक–16 पर आवेदक को यह अधिकार होगा कि वह दिये गये रिक्त पद वाले विद्यालयों में से अपने विषय, संवर्ग तथा पदनाम के अनुरूप अधिकतम 05(पांच) इच्छित विद्यालयों के विकल्प के अनुसार आवेदन कर सकता है ।

19– आवेदन पत्र पूर्ण करने के पश्चात् आवेदक अपनी समस्त प्रविष्टियों को पुनः एक बार भली भांति जांच लें । आवेदक द्वारा यदि कोई भी प्रविष्टि गलत/भ्रामक/असत्य/त्रुटिपूर्ण अंकित की जाती है तो विभाग का यह अधिकार होगा कि वह उसका आवेदन निरस्त कर दे एवं उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही संस्तुत कर दे। अतः अपनी समस्त प्रविष्टियों को भली भांति जांचने के पश्चात ही अपने आवेदन पत्र को फाइनल सबमिट करें।

20– फाइनल सबमिट करने के पश्चात् किसी भी प्रकार का कोई भी संशोधन नहीं हो पायेगा।

21– आवेदक द्‌वारा आवेदन पत्र फाइनल सबमिट करने के पश्चात पूर्ण किये गये आवेदन पत्र का प्रिन्ट आउट तीन प्रतियों में निकाला जायेगा ।

22– समस्त वांछित संलग्नकों सहित प्रिन्ट आउट की एक प्रति प्रधानाचार्य को उपलब्ध कराना होगा, दूसरी प्रति प्रधानाचार्य से अग्रसारित कर जिला विद्यालय निरीक्षक को उपलब्ध कराना होगा तथा तीसरी प्रति आवेदक स्वयं अपने पास सुरक्षित रखेगा ।

(ii) <u>प्रधानाचार्यो के लिए आवश्यक निर्देश :–</u>

1– प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या/प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण हेतु आनलाइन भरे गये आवेदन पत्रों को जिला विद्यालय निरीक्षक को संस्तुति सहित अग्रसारित करेंगे तथा जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में जमा करने हेतु आवेदक को उनका आवेदन पत्र उपलब्ध करा देंगे।

2– स्थानान्तरण आवेदन पत्रों को अग्रसारित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदक नियमित राजकीय शिक्षक/शिक्षिका है तथा उसे राजकोष से वेतन प्राप्त हो रहा है।

3– यदि किसी भी कारणवश नवीन नियुक्ति वाले ऐसे शिक्षक जिनके अंकपत्र/प्रमाण–पत्र का सत्यापन अद्यतन नहीं हुआ है तथा उनका वेतन राजकोष से प्राप्त नहीं हो रहा है, ऐसे शिक्षकों का आवेदन पत्र कदापि अग्रसारित नहीं किया जाएगा।

4– प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या/प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका अग्रसारण से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदक द्वारा संलग्न किये गये समस्त अभिलेख सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत किये गये हैं।

<u>(iii) जिला विद्यालय निरीक्षक के लिए आवश्यक निर्देशः–</u> जिला विद्यालय निरीक्षक को आनलाइन स्थानान्तरण प्रणाली में निम्न तीन चरणों में कार्य करना होगाः–

<u>(1) प्रथम चरणः–</u>

1– निदेशालय के पत्रांकः सा0(1)शि0/563–657/2018–19 दिनांक 18 अप्रैल, 2018 द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में प्रपत्र 'अ' तथा प्रपत्र 'ब' में तैयार कर लें।

2– जिला विद्यालय निरीक्षक यह सुनिश्चित कर लें जिन विद्यालय में विषयवार पद सृजन हो चुका है उन विद्यालयों के नाम का अंकन अवश्य किया जाएगा।

3– जोनवार, संवर्गवार विद्यालयों का विवरण तथा विषयवार रिक्ति का भली–भॉति परीक्षण करने के उपरान्त उपरोक्त सूचनाएं तैयार करें।

4– प्रपत्र 'अ' तथा प्रपत्र 'ब' में तैयार सूचना को अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) को प्रेषित करेंगे। अपर शिक्षा निदेशक द्वारा प्राप्त सूचना को विद्यालयवार तथा रिक्तिवार परीक्षण कर अनुमोदित कर वापस जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रेषित करेंगे।

(1) द्वितीय चरणः–

1– जिला विद्यालय निरीक्षक को सर्वप्रथम वेबसाइट पर लागिन करना होगा।

2– लागिन हेतु सम्बन्धित जनपद का नाम, उपलब्ध कराया गया पासवर्ड एवं डिजिटल सिगनेचर से लागिन करना होगा।

3– पहली बार लागिन करने के पश्चात जिला विद्यालय निरीक्षक को अपना पासवर्ड बदलना होगा जिसमें उनको नवीन पासवर्ड डालना होगा जो 6 से 12 कैरेक्टर का होगा जिसमें कम से कम एक अंक, एक अंग्रेजी का बडा अक्षर, एक स्पेशल कैरेक्टर होगा ।

4– विभाग द्वारा निर्धारित की गयी तिथि के मध्य, अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) द्वारा अनुमोदित की गयी प्रपत्र 'अ' तथा प्रपत्र 'ब' की सूचना को वेबसाइट पर फीड करेंगे।

5– प्रपत्र 'अ' में जनपद का नाम, विद्यालय का नाम, विद्यालय का प्रकार(पुरूष/महिला), विद्यालय का स्तर(हाईस्कूल/इण्टर) तथा जोन एवं प्रपत्र 'ब' जनपद का नाम, विद्यालय का नाम, संवर्ग(पुरूष/महिला), पदनाम(प्रवक्ता/सहायक अध्यापक), विषय, रिक्त पद की संख्या की सूचना वेबसाइट पर फीड करेंगे।

6– समस्त सूचनाएं फीड करने के उपरान्त जिला विद्यालय निरीक्षक अपने डिजिटल हस्ताक्षर से अन्तिम लॉक कर देंगे। डिजिटल हस्ताक्षर से अन्तिम लॉक होने के पश्चात उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन सम्भव नहीं होगा। अतः अन्तिम लॉक करने से पूर्व फीड की गयी सूचना का भली–भॉति मिलान कर लें।

(2)तृतीय चरणः–

1– सम्बन्धित जनपद से स्थानान्तरण हेतु जितने भी आवेदक हैं वह निर्धारित तिथि तक कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक में संस्था प्रधान द्वारा अग्रसारित, समस्त संलग्नकों सहित आवेदन पत्र जमा करेंगे।

2– जिला विद्यालय निरीक्षक आवदेक से आवेदन पत्र प्राप्त करेंगे तथा प्राप्त आवेदन पत्रों को वेबसाइट पर भी लागिन कर प्राप्त करेंगे तथा प्राप्ति आवेदक को उपलब्ध करा देंगे। आवेदक को दी जाने वाली प्राप्ति रसीद वेबसाइट पर आनलाइन आवेदन प्राप्ति उपरान्त भी जनरेट की जा सकेगी।

3– आवेदक काउन्सलिंग हेतु निर्धारत तिथि को जिला विद्यालय कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा, प्राप्त सभी आवेदन पत्रों का भली–भॉति परीक्षण किया जाएगा, तथा यह भी देखा जाएगा कि राजाज्ञा संख्या –319/15–2–2018 दिनांक 18 अप्रैल, 2018 में दिये गये निर्देशों की पूर्ति हो रही है अथवा नही तथा संलग्न किये गये अभिलेख सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत किये गये हैं अथवा नहीं।

4– आवेदन पत्र जो अपूर्ण हैं अथवा उसमें वांछित अभिलेख संलग्नक नहीं है, ऐसे आवेदन पत्रों को स्पष्ट कारण उल्लेख करते हुए निरस्त किया जाएगा तथा उन आवेदन पत्रों को विचार क्षेत्र में नहीं लिया जाएगा।

5– स्थानान्तरण आवेदन पत्रों को अग्रसारित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदक नियमित राजकीय शिक्षक/शिक्षिका है तथा उसे राजकोष से वेतन प्राप्त हो रहा है।

6– यदि किसी भी कारणवश नवीन नियुक्ति वाले ऐसे शिक्षक जिनके अंकपत्र/प्रमाण–पत्र का सत्यापन अद्यतन नहीं हुआ है तथा उनका वेतन राजकोष से प्राप्त नहीं हो रहा है, ऐसे शिक्षकों का आवेदन पत्र कदापि अग्रसारित नहीं किया जाएगा।

7– उपरोक्त प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरान्त जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा आवेदन पत्रों को आनलाइन अग्रसारित किया जाएगा।

8– जिला विद्यालय निरीक्षक आवेदनों को आनलाइन अग्रसारित करने से पूर्व पुनः संबंधित प्रधानाचार्य से आवेदक द्वारा उपलब्ध करायी गयी आनलाइन आवेदन तथा आवेदन–पत्र के क्रमांक–16 में उल्लिखित मानक विन्दुओं में से आवेदक ने यदि कोई ऐसा एक या अधिक विकल्प चुना है, जिसमें सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, तो चुने गये विकल्पों के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्रों के परीक्षणोंपरान्त ही आवेदन पत्र को आनलाइन अग्रसारित करेंगे।

9– स्वीकार नहीं किये गये अथवा अग्रसारित नहीं किये आवेदन पत्रों को अग्रसारित न करने का स्पष्ट कारण उल्लेख करते हुए रिजेक्ट करेंगे।

10– अपूर्ण/असत्य/भ्रामक/त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र किसी भी दशा में अग्रसारित नहीं किये जाएंगे।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र(NIC)

राजाज्ञा संख्या –319/15–2–2018 दिनांक 18 अप्रैल, 2018 में दिये गये प्राविधानानुसार, माानक/गुणांक के आधार पर NIC द्वारा विकसित आनलाइन स्थानान्तरण प्रणाली–2018 के द्वारा विषयवार, विद्यालयवार तथा संवर्गवार स्थानान्तरित होने वाले शिक्षक/शिक्षिकाओं की सूची का निर्धारण किया जाएगा।

अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)

स्थानान्तरण हेतु निर्धारित गुणांक/मानक के आधार पर पात्र पाये गये शिक्षक/शिक्षिकाओं की सूची को अपर शिक्षा निदेशक(मा0) के डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा पृथक–पृथक से स्थानान्तरण आदेश आनलाइन जारी किया जाएगा जिसे सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक तथा आवेदक को आनलाइन प्रेषित किया जाएगा। स्थानान्तरण आदेश प्राप्त होने पर कार्यमुक्त के पश्चात वह अपने स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण कर लेगा।